

# कार्यकारी सारांश

## राजकोषीय स्थिति

वर्ष 2016–17 में जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय में वृद्धि हुई है, जबकि 2012–13 की तुलना में मुद्रास्फीति के हिसाब से 2016–17 में उनकी वृद्धि दर कम हो गई है। पूँजी निर्माण के विकास की दर, विशेष रूप से, काफी कम थी।

(कांडिका 1.1.1)

राज्य ने 2016–17 के बजट अनुमानों, चौदहवें वित्त आयोग / बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम में दिए गए लक्ष्य के अनुसार राजस्व अधिशेष और बकाया ऋण से जी0एस0डी0पी0 का अनुपात हासिल नहीं किया है।

(कांडिका 1.1.2)

राज्य का प्राथमिक घाटा ₹ 2,117 करोड़ (2012–13) से बढ़कर 2016–17 के दौरान ₹ 8,288 करोड़ हो गया। जो सूचित करता है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए लगातार अपर्याप्त थे।

(कांडिका 1.1.2,2)

## संसाधन संग्रहण

2016–17 में राजस्व प्राप्तियाँ 2015–16 से ₹ 9,462 करोड़ (10 प्रतिशत) बढ़ी, लेकिन यह बजट अनुमान से ₹ 19,005 करोड़ कम रही।

2016–17 में राजस्व व्यय 2015–16 से ₹ 11,149 करोड़ (13 प्रतिशत) बढ़ी, लेकिन यह बजट अनुमान से ₹ 15,176 करोड़ कम रही।

2016–17 में पूँजीगत व्यय 2015–16 से ₹ 3,242 करोड़ (14 प्रतिशत) बढ़ी, लेकिन यह बजट अनुमान से ₹ 7,547 करोड़ कम रही।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग को बजट तैयारी की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए, ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच का अंतर कम हो।

(कांडिका 1.1.1 एवं 1.1.3)

## महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अनुशंसाओं का सारांश:

### राज्य उत्पाद कर

वर्ष दर वर्ष बढ़ रहे राज्य के स्व-राजस्व में 2016–17 में ₹ 1,490 करोड़ की आई कमी, मुख्य रूप से मद्य निषेध लागू होने से राजस्व के ₹ 3,112 करोड़ घटने के कारण हुई। इसी तरह से, नियंत्रणकारी गतिविधियों में वृद्धि के कारण राज्य उत्पाद का व्यय 2015–16 में ₹ 49.63 करोड़ से बढ़ कर 2016–17 में ₹ 91.96 करोड़ हो गया।

(कांडिका 1.2.2.1 एवं 1.2.2.2)

### बकाया राजस्व

राजस्व की बकाया राशि ₹ 6,327.12 करोड़ मार्च 2017 तक लंबित थी, इसमें से ₹ 801.75 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से लंबित है।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग को एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे बकाये राजस्व का तेजी से संग्रहण किया जा सके।

(कांडिका 1.2.2.4)

### प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व शीर्ष के अंतर्गत सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान ( $\text{₹ } 8,190.70$  करोड़), वेतन एवं मजदूरी पर व्यय ( $\text{₹ } 15,784.04$  करोड़), पेंशन ( $\text{₹ } 12,514.52$  करोड़) तथा सब्सिडी ( $\text{₹ } 8,757.44$  करोड़) शामिल है। प्रतिबद्ध व्यय ( $\text{₹ } 45,246.70$  करोड़), राजस्व व्यय का एक प्रमुख घटक है और यह गैर-योजना राजस्व व्यय ( $\text{₹ } 61,189$  करोड़) का 74 प्रतिशत है।

(कांडिका 1.3.4)

### नई पेंशन योजना

राज्य लेखे में वर्ष 2005 से 2013 के दौरान कर्मचारियों द्वारा नई पेंशन योजना में किए गए अंशदायी पेंशन का विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा इस बात का आकलन करने में असमर्थ रहा कि क्या वास्तव में योजना के शुरू होने के बाद कर्मचारियों से जो कटौती की गयी है उसके समतुल्य अंशदान सरकार द्वारा की गयी जिसे एन०एस०डी०एल को अंतरित किया गया।

2013–14 से 2016–17 के अवधि में कर्मचारियों के  $\text{₹ } 1,172.15$  करोड़ के अंशदान के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा किया गया वास्तविक अंशदान  $\text{₹ } 1,115.71$  करोड़ ही थी, फलस्वरूप अंशदान में  $\text{₹ } 56.44$  करोड़ की कमी पायी गयी। यह न्यून अंशदान, जो ब्याज के साथ जुड़ता है, जिसका आकलन नहीं किया जा सका उससे इस योजना के लंबित पड़े दायित्वों का पता चलता है। इससे संबंधित वर्ष में राजस्व अधिशेष में अत्युक्ति और राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति का परिणाम सामने आया।

उपरोक्त के अलावा  $\text{₹ } 2,287.86$  करोड़ के कुल अंशदान (कर्मचारियों और सरकार का वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक का हिस्सा) में से केवल  $\text{₹ } 2,199.32$  करोड़ की राशि ही एन०एस०डी०एल० को स्थानांतरित की गयी और लोक लेखा के मुख्य शीर्ष 8342 के अधीन  $\text{₹ } 88.54$  करोड़ (इसमें योजना अन्तर्गत लंबित दायित्व भी शामिल है) की राशि शेष के रूप में रह गया।

**अनुशंसा:** राज्य सरकार को अविलंब इस तरह की कार्वाई करने की पहल करनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि 1 सितंबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को पूर्णतः नई पेंशन योजना का लाभ मिल सके। ऐसा कर्मचारियों के अंशदान की कटौती एवं सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान की कटौती कर राशि को पूर्णतः एन०एस०डी०एल० को स्थानांतरित कर दिया जाना है।

(कांडिका 1.3.4.1)

### लोक व्यय की पर्याप्तता

विकासात्मक व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय और शिक्षा सेवाओं पर व्यय कुल व्यय के अनुपात में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था। यद्यपि कुल व्यय में शिक्षा का अंश पाँच वर्षों की अवधि में 2016–17 में कम हो गया। जबकि कुल व्यय में स्वास्थ्य का अंश सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

(कांडिका 1.3.5.1)

### सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीय परिणाम

लागत वसूली में अंतर (31 प्रतिशत) पड़ोसी राज्यों, यथा झारखण्ड (8.47 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (20 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (-49 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (-87 प्रतिशत) से ज्यादा है, जो यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में राज्य को अभी बहुत प्रयास करना होगा।

(कांडिका 1.4.1)

### अपूर्ण परियोजनाएँ:

7 विभागों के 130 अपूर्ण परियोजनाएँ जिसकी लागत ₹ 2,269.08 करोड़ है। उनमें से सिर्फ चार परियोजनाओं का लागत संशोधन किया गया। 126 कार्यों की जिनकी अनुमानित लागत ₹ 2,157.60 करोड़ थी, का लागत संशोधन नहीं किया गया, फलस्वरूप, राज्य इन अपूर्ण परियोजनाओं के कारण एक बृहद गैर-आकलित दायित्वों का सामना कर रहा है।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग और संबंधित विभागों को एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे परियोजनाओं को समस्य पूरा किया जा सके।

(कांडिका 1.4.2)

### निवेश पर प्रतिलाभ

2012–17 के दौरान, सरकार की उधारी लागत तथा निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर के कारण पिछले पाँच वर्षों में, राज्य सरकार को विभिन्न ईकाईयों में निवेश पर ₹ 2,190.50 करोड़ की हानि हुई। अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश पर प्रतिलाभ का आकलन नहीं किया जा सकता।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को वैसे इकाईयों जिनका वित्तीय प्रदर्शन पूँजी की उधार लागत को भी पूरा नहीं करता है, में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में, जिन इकाईयों के लेखे बकाये में हैं, उनमें निवेश तथा ऋण विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए।

(कांडिका 1.4.3)

### राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

इन ऋणों एवं अग्रिमों पर बकाया ब्याज पिछले वर्षों में बढ़ कर 31 मार्च 2017 को ₹ 6,652.60 करोड़ हो गया।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को उन इकाईयों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम को बट्टे खाते में डालने की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए जिन्होंने पिछले अनेक वर्षों से मूलधन का पुनर्भुगतान अथवा ब्याज अदायगी नहीं की है।

(कांडिका 1.4.4)

### आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन-देन

वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार के पास छ: आरक्षित निधियाँ हैं। पिछले 16–17 वर्षों से चार आरक्षित निधियों यथा, मूल्य ह्रास/नवीकरण निधि, अकाल राहत निधि, विकास एवं कल्याण निधि, सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि में कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों को वैसे सभी आरक्षित निधियों को बंद कर देना चाहिए जिनमें पिछले कई वर्षों से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

(कांडिका 1.5.2)

### निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्यों को सभी दायित्वों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि का स्थापना करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि के प्रबंधन के लिए जिम्मेवार है, ने वर्ष के प्रारंभ में बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान निर्धारित करने का दिशा-निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने 2008–09 में एक समेकित निक्षेप निधि का स्थापना किया जो सिर्फ बाजार ऋण के परिशोधन के लिए था न कि सभी बकाया देयताओं के लिए। निधि का उपयोग 2014–15 से सरकार के बकाया देयताओं के विमोचन के लिए किया जाना था। हालांकि, 2014–17

के दौरान निधि का उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। 31 मार्च 2017 को इसका अंतिम शेष ₹ 3,417.63 करोड़ था।

(कांडिका 1.5.2.1)

### राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन 2010–11 में प्रारंभ किया। इसमें केंद्र तथा राज्य सरकार को निधि में 75:25 के अनुपात में योगदान देना है। राज्य सरकार द्वारा 2016–17 में ₹ 492 करोड़ की राशि एस0डी0आर0एफ0 में जमा की गयी (₹ 369 करोड़ केन्द्राशं एवं ₹ 123 करोड़ राज्यांश)। जिससे 31 मार्च 2017 को निधि का अंतिम शेष ₹ 696.39 करोड़ रह गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए ₹ 119.72 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार का राजस्व अधिशेष ₹ 119.72 करोड़ ज्यादा तथा राजकोषीय घाटा कम प्रदर्शित हुआ। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के संचालन से अबतक का अप्रदत्त ब्याज (₹ 931.04 करोड़) राज्य के अलेखांकित देयताओं को प्रदर्शित करता है।

(कांडिका 1.5.2.2)

### प्रत्याभूति की स्थिति

बाहरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना नहीं की गयी और न ही प्रत्याभूति की सीमा के लिए कोई नियम बनाया गया। राज्य सरकार इसके दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 32.69 करोड़ (वर्ष 2016–17 के प्रारंभ में ₹ 6,537.45 करोड़ के बकाया प्रत्याभूति का 0.5 प्रतिशत) के न्यूनतम वार्षिक अंशदान करने में विफल रही, परिणामस्वरूप 2016–17 के दौरान ₹ 32.69 करोड़ राजस्व अधिशेष में अधिक तथा राजकोषीय घाटा कम दर्शाया गया। 2009–10 से 2016–17 तक इस लेखा पर राज्य का कुल देयता ₹ 91.81 करोड़ था।

(कांडिका 1.5.3)

### उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता

2016–17 में लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों से निधि के निवल उपलब्धता का प्रतिशत 19.15 प्रतिशत था जबकि यह उत्तर प्रदेश में 25.75 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 30.54 प्रतिशत, झारखंड में 32.43 प्रतिशत तथा छत्तीसगढ़ में 25.44 प्रतिशत था।

(कांडिका 1.6.1)

### उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

विद्युत कंपनियों के पुनरुत्थान पैकेज के अनुसार राज्य सरकार ने सब्सिडी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सहभागी ऋणदाता बैंकों को बॉण्ड जारी कर कंपनियों के ऋण (₹ 2,331.78<sup>1</sup> करोड़) का अधिग्रहण किया।<sup>1</sup>

(कांडिका 1.6.4)

### बचत

2016–17 के दौरान कुल अनुदानों/विनियोगों (₹ 1,69,351.63 करोड़) में से ₹ 41,353.31 करोड़ (24.42 प्रतिशत) की बचत हुई। ₹ 1,000 करोड़ एवं अधिक तथा कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक के उल्लेखनीय बचत 11 अनुदानों में कुल ₹ 26,316.01 करोड़ (38.07 प्रतिशत) के हुए थे। विगत पाँच वर्षों के दौरान 10 अनुदानों से संबंधित 11 मामलों में ₹ 72.52 करोड़ से ₹ 3,350.96 करोड़ के बीच (मूल प्रावधान का 11.39 प्रतिशत से 69.33 प्रतिशत) की सतत बचत हुई। 46 मामलों (37 अनुदानों/विनियोगों) में ₹ 11,677.83 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या

<sup>1</sup> ₹ 1554.52 करोड़ (50 प्रतिशत) 2015–16 में और ₹ 777.26 करोड़ (25 प्रतिशत) 2016–17 में।

उससे अधिक) के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग को विभागीय नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा किये गये व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए ताकि अनावश्यक प्रावधान न किया जाए, राशियों को अनावश्यक रूप से न रोके रखे जाए एवं अंतिम क्षणों में अभ्यर्पण किये जाने एवं आवंटन के व्यपगत हुए बिना जल्द से जल्द अभ्यर्पण कर देना चाहिए।

(कांडिका 2.2, 2.3.2, 2.3.3 एवं 2.3.4)

#### निधियों का अभ्यर्पण

वर्ष के दौरान ₹ 41,353.31 करोड़ के कुल बचत में से सिर्फ ₹ 29,771.11 करोड़ का अभ्यर्पण हुआ तथा ₹ 11,582.20 करोड़ (कुल बचत का 28.01 प्रतिशत) व्यपगत हुआ। आगे, ₹ 18,552.67 करोड़ (वर्ष के दौरान कुल अभ्यर्पण का 62.32 प्रतिशत) का अभ्यर्पण मार्च 2017 के अंतिम कार्य दिवस को किया गया। 35 अनुदानों/विनियोजनों (कुल ₹ 3,421.66 करोड़) के अन्तर्गत 186 लेखा शीर्षों में शत-प्रतिशत निधि (प्रत्येक मामले में ₹ 5 लाख से अधिक) का अभ्यर्पण हुआ।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग को विभागीय नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा किये गये व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए, ताकि अनावश्यक प्रावधान न किया जाए, राशियों को अनावश्यक रूप से न रोके रखे जाए एवं अंतिम क्षणों में अभ्यर्पण किये जाने एवं आवंटन के व्यपगत हुए बिना जल्द से जल्द अभ्यर्पण कर देना चाहिए।

(कांडिका 2.2 एवं 2.3.6)

#### पिछले वर्षों के अधिकाई व्यय का अपेक्षित नियमितीकरण

वर्ष 1977–78 से 2015–16 के दौरान हुए ₹ 807.36 करोड़ के अधिकाई व्यय का नियमितीकरण राज्य विधायिका द्वारा अभी तक नहीं किया गया है।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग को पिछले वर्षों से संबंधित ₹ 807.36 करोड़ रूपये के अधिकाई व्यय के नियमितीकरण के लिये तत्काल कदम उठाने चाहिए। भविष्य में इस प्रकार के अदत्तमत व्यय पूर्णतः रोक देने चाहिए सिवाय आपातकालीन विकट परिस्थिति के, जिसकी पूर्ति आकस्मिकता निधि से नहीं की जा सकती है।

(कांडिका 2.3.1)

#### सघन व्यय

2016–17 के दौरान 17 विभागों में ₹ 19,036.99 करोड़ (कुल व्यय ₹ 27,738.38 करोड़ का 68.63 प्रतिशत) का व्यय अंतिम तिमाही में हुआ। इनमें से ₹ 14,175.07 करोड़ (कुल व्यय का 51.10 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2017 में हुआ।

**अनुशंसा:** राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में सघन व्यय के नियंत्रण हेतु नियमों का निर्धारण करना चाहिए।

(कांडिका 2.3.9)

#### आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि कोष (₹ 350 करोड़) को नियमित रूप से वर्ष दर वर्ष अस्थायी रूप से बढ़ाया गया। 2016–17 में राज्य विधायिका द्वारा आकस्मिकता निधि कोष को अस्थाई रूप से ₹ 350 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 5,787.85 करोड़ कर दिया गया। इसके तुलना में भारत सरकार का आकस्मिकता निधि कोष ₹ 500 करोड़ का है। 2016–17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि से ₹ 4,416 .63 करोड़ की राशि के 136 आहरण किये गये, जिनमें से कुल ₹ 2,726.35 करोड़ (61.73 प्रतिशत) के 61 आहरण संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए गैर-आकस्मिक व्यय के लिए किया गया।

**अनुशंसाएँ:** वित्त विभाग को आकस्मिक निधि कोष में ऐसी वृहद वार्षिक वृद्धि के प्रथा की समीक्षा करनी चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल तात्कालिक आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए किया जाए जैसा कि संविधान एवं बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम में परिकल्पित है। वित्त विभाग को आकस्मिकता निधि से किये गये व्यय के नियमितीकरण के समय इन शर्तों के सभी उल्लंघन को विधायिका के सम्मुख भी प्रस्तुत करना चाहिए।

(कांडिका 2.4)

### असमाशोधित प्राप्तियाँ एवं व्यय

वर्ष 2016–17 के दौरान विभागाध्यक्षों ने 26 प्राप्तियों एवं 87 व्यय मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 25,430.49 करोड़ के प्राप्तियों एवं ₹ 1,00,816.53 करोड़ के व्यय का समाशोधन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तिकाओं से नहीं किया।

**अनुशंसाएँ:** वित्त विभाग को एक क्रियाविधि विकसित कर इसे नियंत्री पदाधिकारियों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि वे प्रत्येक महीने अपने प्राप्तियों एवं व्यय को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पुस्तिकाओं के साथ मिलान कर लें।

(कांडिका 2.6)

### व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाते

177 व्यक्तिगत जमा खातों में मार्च 2017 तक ₹ 4,373.65 करोड़ की राशि शेष थे। इन 177 पी0डी0 खातों में से 60 पी0डी0 खातें विगत तीन वर्षों से अपरिचालित थे जिसमें से 59 खातों में शेष शून्य और एक पी0डी0 खाते में ₹ 0.66 करोड़ शेष थे।

**अनुशंसाएँ:** वित्त विभाग को सभी पी0डी0 खातों की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि (i) सभी पी0डी0 खाते, जिनमें शून्य/न्यूनतम शेष राशि हैं, उन्हें तुरंत बंद किया जाए; (ii) सभी राशियाँ जो पी0डी0 खातों में पड़े हैं उन्हें वर्ष की समाप्ति पर शीघ्रता से संचित निधि में प्रेषित किया जाए; (iii) उन विभागीय और कोषागार पदाधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए जो पी0डी0 खातों से संबंधित वित्तीय नियमों के पालन में असफल रहे।

(कांडिका 3.1)

### भवन और अन्य निर्माण कार्यों के श्रमिकों (भ0अ0नि0श्र0) के लिए कल्याण उपकर का लेखांकन

बिहार सरकार द्वारा भ0अ0नि0श्र0 कल्याण उपकर के लेखांकन के लिए नियम नहीं बनाए गए हैं। विभिन्न विभागों द्वारा श्रमिक सहयोग से निष्पादित परियोजनाओं पर प्राप्त श्रम उपकर को इन्द्राज करने के लिए सरकार द्वारा उप शीर्ष नहीं खोला गया है। सरकारी विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर को मुख्य शीर्ष 8443 सिविल जमा—108 लोक निर्माण कार्य में बिहार के संचित निधि के माध्यम से जैसा कि भारतीय संविधान के द्वारा ऐसा करना अपेक्षित है, किये बिना सीधे इन्द्राज कर लिया गया है। पुनः, यद्यपि लघु शीर्ष—लोक निर्माण कार्य जमा में श्रम उपकर के अलावा कई प्राप्तियाँ शामिल हैं, इसके नीचे कोई उप—शीर्ष नहीं है, इसके फलस्वरूप विभिन्न विभागों द्वारा संग्रहित उपकर की राशि को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। श्रमिक कल्याण बोर्ड को भुगतान की गयी राशि को भी अलग कर पाना संभव नहीं है। भ0अ0नि0श्र0 कल्याण बोर्ड के लेखाओं को वर्ष 2012–13 तक ही अंतिमीकृत किया गया है।

**अनुशंसाएँ:** बिहार भ0अ0नि0श्र0 कल्याण बोर्ड को लेखाओं के ससमय संधारण को सुनिश्चित करना चाहिए और प्रासंगिक अभिलेखों का उचित रखरखाव करना चाहिए ताकि भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिकों के काम करने की स्थिति में सुधार के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा सके। बिहार सरकार को संवैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना

चाहिए तथा उपकर को संचित निधि के माध्यम से स्थानांतरित और उपकर के लेखांकन हेतु नियमावली भी तैयार करना चाहिए।

(कांडिका 3.2)

### लेखाओं में अपारदर्शिता

सर्वव्यापी लघु शीर्ष “800—अन्य प्राप्तियाँ/अन्य व्यय” के अंतर्गत वर्गीकृत क्रमशः ₹ 1,212.95 करोड़ के राजस्व एवं ₹ 174.65 करोड़ का व्यय, वित्तीय विवरणी में पारदर्शिता के अभाव को प्रदर्शित करता है।

**अनुशंसाएँ:** वित्त विभाग, महालेखाकार (लेठो एवं हको) के परामर्शानुसार सभी मदों की एक व्यापक समीक्षा करा सकता है, जो वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्रदर्शित है और यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि भविष्य में ऐसी प्राप्तियाँ और व्ययों को उचित लेखा शीर्षों में लेखांकित किया जाए।

(कांडिका 3.3)

### सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निगमों के लेखाओं का अन्तिमीकरण

21 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (142 लेखायें और 44 अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (1,029 लेखायें) का बकाया 1 से 40 साल तक का है। राज्य सरकार ने विस्तारित बजटीय आवंटन, इकिवटी, लोन, सहायता अनुदान/सब्सिडी के माध्यम से दिया, जो 2014–16 के दौरान सात सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए ₹ 1,052 करोड़ और 2016–17 के दौरान पाँच सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए ₹ 1,414.79 करोड़ था जिनके लेखाओं का बकाया तीन साल से ज्यादा था।

**अनुशंसाएँ:** वित्त विभाग को उन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके लेखे बकाये हैं, सुनिश्चित करना चाहिए कि एक यथोचित अवधि तक इन लेखाओं को अद्यतन किया जाए, और उन सभी मामलों में जहाँ बकाया लेखों की स्थिति यथावत है, वित्तीय सहायता बंद कर देनी चाहिए।

(कांडिका 3.4)

### उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत नहीं किया जाना

32 विभागों द्वारा सहायक अनुदान विपत्रों पर आहरित ₹ 35,677.41 करोड़ के 2,107 उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च 2017 तक लंबित थे।

**अनुशंसाएँ:** वित्त विभाग को एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करना चाहिए जिससे कि प्रशासनिक विभाग लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को संग्रहित कर सके। वित्त विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उस अवधि तक प्रशासनिक विभाग, दोषी अनुदानग्राहियों को आगे कोई अनुदान जारी न करे।

(कांडिका 3.5)

### लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र

विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुतिकरण में विलंब के कारण सार आकस्मिक विपत्रों (ए०सी०) पर आहरित ₹ 4,750.52 करोड़ के 15,575 विपत्र मार्च 2017 तक लंबित थे। इसमें शामिल ₹ 533.07 करोड़ (29.47 प्रतिशत) के 888 ए०सी० विपत्रों को केवल मार्च 2017 में आहरित किया गया जिसमें से 151 ए०सी० विपत्र (₹ 43.52 करोड़) को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन आहरित किया गया था।

**अनुशंसाएँ:** वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के आगे तक लंबित ऐसी विपत्रों को समयबद्ध तरीके से समायोजित करें, तथा यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसी विपत्रों को सिर्फ बजट के व्यपगत होने से बचाने के लिए आहरित नहीं किया जाए। वैसे

पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की पहल की जाय जो एसी विपत्रों पर निधि का आहरण सिर्फ बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए करते हैं।

(कांडिका 3.6)

#### निवेशों/ऋणों एवं अग्रिमों/प्रत्याभूतियों का असमाशोधन

वित्त लेखे में उल्लेखित राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में किये गये निवेशों, ऋणों एवं अग्रिमों तथा प्रत्याभूतियों से संबंधित आँकड़े, वित्त विभाग, कोषागारों तथा प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित हैं। यद्यपि, यह पाया गया की सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा प्रदत्त आँकड़ों से ये आँकड़े क्रमशः ₹ 6,429.90 करोड़, ₹ 14,058.65 करोड़ एवं ₹ 576.76 करोड़ भिन्न थे।

**अनुशंसाएँ:** राज्य सरकार के विभिन्न संस्थाओं को दी गई निवेशों, ऋणों एवं अग्रिमों और प्रत्याभूतियों से संबंधित राज्य सरकार के अभिलेखों एवं लेखों में अंतरों के समाशोधन के लिए वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

(कांडिका 3.7)

#### राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का विभाजन

राज्य सरकार द्वारा (नवम्बर 2000 से) उत्तरवर्ती राज्यों बिहार और झारखण्ड के बीच ₹ 11,148.69 करोड़ की राशि का विभाजन अब तक किया जाना शेष है।

**अनुशंसा:** राज्य सरकार को दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के बीच ₹ 11,148.69 करोड़ की शेषों को शीघ्रता से विभाजन करना चाहिए।

(कांडिका 3.9)

#### अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय असमायोजन

आठ विभागों/संगठनों द्वारा आहरित ₹ 161.00 करोड़ के अस्थाई अग्रिम एवं अग्रदाय की राशि वर्ष 1985 से आगे तक समायोजन हेतु लंबित था। निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ऐसी लंबित असमायोजित राशि दुर्विनियोजन एवं गबन के जोखिम से भरा हुआ है।

**अनुशंसाएँ:** वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को सभी असमायोजित अस्थायी अग्रिमों एवं अव्ययित राशियों की समीक्षा करनी चाहिए, उसके तत्काल समायोजन के लिए कार्रवाई प्रारंभ तथा वैसे कर्मचारियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाय जिन्होंने निर्धारित समय के अंदर अस्थायी अग्रिमों एवं अग्रदायों को समायोजित/वापस नहीं किया है।

(कांडिका 3.11)

#### राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

व्यय एवं राजस्व के गलत लेखांकन के प्रभाव के परिणामस्वरूप ₹ 157.54 करोड़ प्रत्येक का राजस्व अधिशेष में अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई।

(कांडिका 3.12)